

सभी फिक्स्ड/रिकरिंग डिपॉजिट धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

आप फॉर्म 15G/15H सिर्फ तब सब्मिट कर सकते हैं जबकि आपको अदा/क्रेडिट किया गया ब्याज निम्नानुसार टैक्स भुगतान की सीमाओं में आता हो।	
60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तिगत निवासी	रु. 4,00,000/-
60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तिगत निवासी	रु. 12,00,000/-
80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक निवासी	

*टैक्सेबल लिमिट मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए लागू हैं

अगर करदाता द्वारा कर प्राप्तकर्ता को PAN नहीं दिया गया है, या PAN आधार से लिंकड नहीं है, तो TDS (स्रोत पर काटा गया कर) मौजूदा दर से ज़्यादा दर पर काटा जायेगा।

TDS दरें इस प्रकार हैं:

स्थिति	मौजूदा दर	PAN जमा न किये जाने या PAN आधार से लिंकड न होने पर TDS दरें
निवासी व्यक्ति	10%	20%
गैर-निवासी व्यक्ति	30%	30%

साथ ही ग्राहकों द्वारा जमा किये गये फॉर्म नं. 15H/15G पर PAN के साथ लिंकड आधार भी जमा करना अनिवार्य है।